न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या :— 353 / 2018

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीगणः—
1 मंगलसिंह 2 मूलसिंह पिसरान स्व. श्री पन्नेसिंह जातियान रावत राजपुत निवासीगण बन्ना की नाडी, खरनी खेडा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान ।		1 लक्ष्मणसिंह 2 बाबुसिंह पिसरान भैरूसिंह जातियान रावत राजपुत निवासीगण बन्ना की नाडी, खरनी खेडा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान 3 गुलाबी पुत्री भैरूसिंह जाति रावत राजपुत निवासी डिंगोर प्याऊ तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली राजस्थान. 4 नैना पुत्री भैरूसिंह जाति रावत राजपुत निवासी लवासा तहसील रायपुर जिला पाली राजस्थान । 5 गीता पुत्री भैरूसिंह जाति रावत राजपुत निवासी फुलाद तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान। तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत। 6

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे एवं श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री राजाराम प्रजापति अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 03/08/2023

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम खरनी खेड़ा पटवार हल्का खोडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडावीजा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 265 रकबा 0.3100 हेक्टर, खसरा संख्या 331 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 337 रकबा (0.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 432 रकबा 0.3900 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.1500 हैक्टर की कृषि भूमि वाके आयी हुई स्थित है। जो कृषि भूमि सेटलमेन्ट के पुराने खसरा संख्या 216, 234, 215 265 से मिलकर बनी है। उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक भूमि है, जिस कृषि भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित हो चुका है। प्रार्थीगण की सजरा वंशावली अनुसार रूपसिंह, जैतसिंह पि0 रतनसिंह सिंह, पन्नेसिंह, चतरसिंह, देवीसिंह(लाऔलाद फोत), रामसिंह पि0 रूपसिंह, मंगलसिंह, मूलसिंह, भैरूसिंह पि0 पन्नेसिंह, झुमा, डाली पि0 रामसिंह, लक्ष्मणसिंह, बाबुसिंह, गुलाबी, नैना, गीता पि0 चतरसिंह, दौलसिंह, खीमसिंह, प्रेमसिंह, नीम्बसिंह पि0 लक्ष्मणसिंह, भवरसिंह पि0 दौलसिंह, सोहनसिंह पि0 खीमसिंह, तेजसिंह मूलसिंह भानसिंह, पुनमसिंह पि0 प्रेमसिंह, धुली देवी, गाजीसिंह, रोडसिंह, सवाईसिंह पि0 भंवरसिंह, अनसी, पुनमसिंह, मोहनसिंह पि0 नीम्बसिंह उपरोक्त वंशावली अनुसार प्रार्थीगण के परदादा रतनसिंह थे, जिनके उतराधिकारी वारिसान में दो पुत्र रूपसिंह एवं जैतसिंह हुए, रूपसिंह प्रार्थीगण के दादा एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के दादा थे तथा रूपसिंह के उतराधिकारी वारिसान में चार पुत्र पन्नेसिंह, चतरसिंह, देवीसिंह एवं रामसिंह

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

हुए जिसमें से पन्नेसिंह प्रार्थीगण के पिता थे। जिनका की आज से करीब 30–32 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है तथा चतरसिंह जी का भी स्वर्गवास हो चुका हैं । जिनके उतराधिकारी वारिसान में एक पुत्र भैरूसिंह एवं एक पुत्री जोई हुई जिसमें से भैरूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके उतराधिकारी वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 है तथा देवीसिंह जी लौऔलाद फौत हो चुके है। रामसिंह का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उतराधिकारी वारिसान में दो पुत्रीयां झुमा एवं डाली हुई। इसी प्रकार जैतसिंह जी के उतराधिकारी वारिसान में चार पुत्र दौलसिंह, खीमसिंह, प्रेमसिंह, नीम्बसिंह हुए जिनका स्वर्गवास हो चुका है। दौलसिंह के वारिसान में पुत्र भंवरसिंह हुआ जिसका भी स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उतराधिकारी वारिसान अप्रार्थी धुली देवी, गालीसिंह, रोडसिंह एवं सवाईसिंह है। इसी प्रकार खीमसिंह के दो पुत्र सोहनसिंह एवं खेतसिंह हुए, जिसमें से तेजसिंह लाऔलाद फौत हो चुका हैं एवं प्रेमसिंह जी के उतराधिकारी वारिसान में तीन पुत्र मूलसिंह, भानसिंह एवं पुनमसिंह हुए जिसमें से भानसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। जिसकी पत्नी भी अन्यत्र नाता विवाह कर चुकी है तथा निम्ब सिंह के उतराधिकारी वारिसान में पत्नी अनसी एवं दो पुत्र पुनमसिंह एवं मोहनसिंह है जो मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 15 है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है, जो कृषि भूमि प्रथम सैटलमेंट पूर्व से रूपसिंह एवं जैतसिंह जी के संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभक्त कृषि भूमि है। जिस कृषि भूमि में रूपसिंह जी का 1/2 हक हिस्सा एवं जैतसिंह जी का 1/2 हक हिस्सा निहित था। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण तमाम हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तथा रूपसिंह जी का स्वर्गवास होने से वादस्थ कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के दादा चतरसिंह संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान होने से राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा दिया इसी प्रकार प्रार्थीगण के दादा रूपसिंह के सगे भाई जैतसिंह जी के द्वारा भी अपना नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया गया। प्रार्थीगण का अपने पिता के जीवनकाल से वादस्थ भूमि के 1/4 हक हिस्सा पर कब्जा काश्त चला आया है, जिसमें कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता एवं दादा एवं अप्रार्थीगण ने दखल, बाधा अडचन कारित नहीं की है, लेकिन वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के परदादा का नाम संयुक्त कर्ता खानदान होने से राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज करवा दिया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को कभी भी नही रही है क्योंकि प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता / पूर्वज ने दखल नही की है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता का स्वर्गवास लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुका है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का वादस्थ भूमि में 1/4 हक हिस्सा निहित है लेकिन वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता का 1/2 हक हिस्सा इन्द्राज हो जाने के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 राजस्व रेकर्ड में सम्पूर्ण अपना नाम इन्द्राज करवा कर वादस्थ कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने को उतारू है साथ ही वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा कर प्रार्थीगण की पैतृक भूमि में प्राप्त हक हिस्से को हड़प करने के आशय से अन्यत्र बेचान हस्तान्तरण इत्यादि करने को उतारू है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की नियत खराब हो चुकी है व प्रार्थीगण के वादस्थ भूमि में हक हिस्से को हड़प करना चाहते है। दिनांक 10/10/2018 को हमेशा की भाति प्रार्थीगण वादस्थ पैतृक कृषि भूमि में प्राप्त अपने 1/4 हक हिस्से की फसल की सार सम्भाल हेतु मौके पर गये तो मौके पर भैरूसिंह जी के वारिसान अप्रार्थीगण मिले जिन्होने प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकियां देने लगे कि उपरोक्त भूमि पर कब्जा तुम्हारा हुआ तो क्या हुआ, राजस्व रेकर्ड में तुम्हारा नाम इन्द्राज नही है, इसलिये हम तो उपरोक्त सम्पूर्ण 1/2 हक हिस्से में अपना नाम इन्द्राज करवा कर तुम्हे उक्त कृषि भूमि से बेदखल कर देगे, तुम्हारे जो करना है वो कर लो। यदि अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर देगे तथा कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करेगे तो प्रार्थीगण वादस्थ पैतृक भूमि में अपने हक हिस्से से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जावेगे, जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयो में नहीं आंका जा सकेगा। वादस्थ भूमि ही प्रार्थीगण की आजिविका का एकमात्र साधन है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम खरनी खेडा पटवार हल्का खोडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 265 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

0.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 331 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 337 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 432 रकबा 0.3900 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.1500 हैक्टर सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के 1/4 हक हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल, अन्दाजी, बेचान, हस्तान्तरण, रहन, तबीयत नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र तर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 की ओर से श्री राजाराम प्रजापति ने वकालतनामा व जबाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है कि उपरोक्त अनवान का एक राजस्व वाद प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय में अनश्य पेश किया है, लेकिन उक्त वाद कतई ठोस व मजबूत तथ्यों पर पेश नहीं किया है, बल्कि गलत व झूठे तथ्यों को आधार बनाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पेश किया है, जो वाद काबिले खारीज के है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से सही है, लेकिन प्रार्थीगण का यह लिखना सर्वथा गलत है कि उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी, पैतृक भूमि है, जिस कृषि भूमि में प्रार्थीगण का जन्म से कतई हक हिस्सा निहित नहीं हो सकता है। इसलिये वाद काबिल खारीज के है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित वंशावली गलत होने से अस्वीकार है, स्वर्गीय भैरूसिंह स्व. चतरसिंह जी का जायन्दा पुत्र है, न कि स्व. पन्नेसिंह जी का जायन्दा पुत्र है तथा प्रार्थीगण संख्या एक लगायत पांच को वंशराजरा में गलत रूप से स्व. चतरसिंह के वारिशान बताये गये है, जबकि अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत पांच स्व. भैरूसिंह के ही जायन्दा पुत्र एवं पुत्रिया है। प्रार्थना पत्र में वंशराजरा में स्व. रतनसिंह का जो वंशसजरा बनाया गया है, वह बिलकुल ही अलग तरीके से स्वर्गीय रतनसिंह के नाम की वाद हाजा में वर्णित आराजी कतई नहीं रही है, इसलिये प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी बतायी जाना बिलकुल गलत है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिले खारीज के है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या चार सम्पूर्ण पैरा गलत होने से अस्वीकार है, क्योंकि उक्त वादग्रस्त आराजी शुरूआत से ही यानि कि "संवत 2010 से पूर्व भी तेजसिंह व चतरसिंह के नाम की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की चली आ रही है।" जिसकी पुष्टि के लिये संवत 2010 से संवत 2019, संवत 2023 से 2026, संवत 2027 से 2030 तक की जमाबन्दी की नकल जवाब प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है, तथा प्रथम सेटलमेन्ट की मिसल बन्दोबस्त के अनुसार भी अप्रार्थी संख्या एक लगायत पांच के दादा स्वर्गीय चतरसिंह तथा स्वर्गीय तेजसिंह के नाम से कब्जा काश्त एवं खातेदारी की चली आ रही है तथा वर्तमान में भी स्वर्गीय चतरसिंह के 1/2 हक–हिस्से की कृषि भूमि वर्तमान में उनके जायन्दा पुत्र स्वर्गीय भैरूसिंह के नाम की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की चली आ रही है एवं स्वर्गीय भैरूसिंह के स्वर्गवास के बाद से लगातकर आज दिन तक उनके वारिशान अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत पांच के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की है तथा शेष 1/2 हक हिस्से की भूमि तेजसिंह (जेतसिंह) के वारिशान की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की चली आ रही है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई 1/4 हक हिस्सा नहीं बनता है, और न ही वादग्रस्त आराजी के 1/4 हक–हिस्से पर प्रार्थीगण कभी कोई काबिज काश्त ही रहे है, बल्कि प्रथम सेटलमेन्ट के समय से लगाकर आज दिन तक उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/2 हक हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत पांच के पूर्वज स्वर्गीय श्री चतरसिंह जी तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र स्वर्गीय भैरूसिंह जी का एवं स्वर्गीय भैरूसिंह जी की मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत पांच का 1/2 हक हिस्सा कब्जा काश्त एवं खातेदारी का चला आ रहा है तथा 1/2 हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या एक से पांच आज दिन तक काबिज काश्त है। मात्र प्रार्थीगण स्वर्गीय पन्नेसिंह पुत्र रूपसिंह के वारिशान होने से तथा स्वर्गीय चतरसिंह स्वर्गीय रूपसिंह का पुत्र होने से वादग्रस्त आराजी में से 1/4 हक हिस्सा की घोषणा प्रार्थीगण अपने नाम से नहीं करवा सकते है, क्योंकि उक्त वादग्रस्त आराजी में शुरू से ही स्वर्गीय चतरसिंह पुत्र रूपसिंह के नाम से ही कब्जा काश्त की रही है। इसलिये सम्पूर्ण पैरा गलत से अस्वीकार है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के 1/4 हक हिस्से पर कोई किसी प्रकार से काबिज काश्त ही नहीं है तो प्रार्थीगण को बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत पांच उक्त भूमि में से 1/2 हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है, इसलिये उक्त 1/2 हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग भी अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत लगायत पांच ही बिना किसी बाधा के खुल्लमखुल्ला रूप से करते आ रहे है। जिनका प्रार्थीगण को भी बखूबी जानकारी में है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी कब्जा काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने से प्रार्थीगण कतई नहीं रोक सकते है एवं न ही किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा ही

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्राप्त कर सकते है, तथा अप्रार्थीगण संख्या एक लगायत पांच का प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या दो में वर्णित आराजी में से 1/2 हक हिस्सा कब्जा काश्त एवं खातेदारी का आता है, जिसमें से अप्रार्थीगण लक्ष्मणसिंह, गुलाबी, नैना व गीता पिसरान स्वर्गीय भैरूसिंह ने मिलकर अपना–अपना सम्पूर्ण हक– हिस्सा अप्रार्थी संख्या दो बाबूसिंह पुत्र स्व. भैरूसिंह के पक्ष में हकतर्क कर दिया है। इसलिये अब उक्त वादग्रस्त 1/2 हक हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो बाबूसिंह ही काबिज काश्त है तथा उक्त बाबूसिंह का ही वर्तमान में कब्जा काश्त होने से उक्त 1/2 हक हिस्से की सम्पूर्ण आराजी का उपयोग उपभोग बाबूसिंह ही कर रहा है। तथा प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण मात्र काल्पनिक एवं रेकर्ड से परे जाकर 1/4 हक हिस्से की खातेदारी की घोषणा कतई नहीं करवा सकते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिलकुल ही गलत रूप से घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना प्रस्तुत किया है, इसलिये प्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने से अप्रार्थीगण को कतई रोकने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज के है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं सहूलियत का पलड़ा कतई नहीं है, बल्कि उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत पांच के पक्ष मे ज्यादा है, इसलिये अप्रार्थीगण संख्या एक से पांच के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीगण का वादस्थ कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई 1/4 हक हिस्सा नहीं है तथा प्रार्थीगण को कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है, प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र बिलकुल गलत व झूठा पेश किया है, जो काबिल खारीज के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

अप्रार्थी संख्या 06 तहसीलदार (भूमि धारक)सोजत ने जवाब प्रा0 पत्र पेश कर अंकित किया है पैरा संख्या 1 में विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खरनी खेडा पटवार हल्का खोडिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत में आई हुई है। पैरा संख्या 2, 4, 5, 6, 7 में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रार्थीगण स्वयं माननीय न्यायालय में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर सिद्ध करे।

बहस प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम खरनी खेडा पटवार हल्का खोडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबींजा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 265 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 331 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 337 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 432 रकबा 0.3900 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.1500 हैक्टर सम्पूर्ण वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण के 1/4 हक हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल, अन्दाजी, बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत न करने हेतु अर्थात अप्रार्थीगण को वादस्थ भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण कतई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने की ईष्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पति अंकित है। वादस्थ भूमि में पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाकर तय किया जायेगा। प्रार्थी द्वारा वादस्थ भूमि में अपना 1/4 हक हिस्से को लेकर धोषणा का वाद पेश किया है। यदि वादस्थ भूमि का बेचान इत्यादि हो जाता है तो वाद बाहुल्यता बढेगीं एवं यदि ऐसा होतो है तो प्रार्थीगण को भी अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। लिहाजा वाद निर्णय तक वादस्थ भूमि के मौका व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

आदेश

अतः अधिवक्ता गण प्रार्थीगण द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का का स्वीकार किया जाता है। सरहद सरहद मौजा गाम खरनी खेजा पटवार हल्का खोडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ाबीजा तहसील सोजत में वर्तमान खाता संख्या 12 के खसरा संख्या 265 रकबा 0.3100 हैक्टर, खसरा संख्या 331 रकबा 0.3200 हैक्टर, खसरा संख्या 337 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 432 रकबा 0.3900 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.1500 हैक्टर सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/4 हक हिस्से की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पावन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम है। वाद तकमील जाब्ता मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 03/08/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर वाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली